कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

—:कार्यालय—आदेश:—

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक क्रमांकः— शिविरा—माध्य /संस्था/सी—2/इति—वाणि/नियुक्ति/इतिहास/पीएससी—2018/2021 दिनांकः—25.09.2021 के तहत बृजेश सिंह व्या0 इतिहास, राउमावि, द्वारिकापुरी—जयपुर का स्थानान्तरण राउमावि, सिलासन रानीवाडा—जालौर किया गया।

उक्त स्थानांतरण के विरूद्व बृजेश सिंह ने माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 5220/2021 बृजेश सिंह बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की।

माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ने अपने आदेश दिनांक 09.11.2021 में बृजेश सिंह को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष रिक्त पद दर्शाते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया है एवं प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि एवं नियमानुसार निस्तारित करते हुए एक समुचित अख्यात्मक आदेश प्रसारित कर जिसकी सम्यक सूचना अपीलार्थी को देने के आदेश प्रदान किये है।

माननीय अपील अधिकरण निर्णय के क्रम में अपीलार्थी बृजेश सिंह ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के 24 वर्ष प्रतिबंधित दूरस्थ ग्रामीण सेवा होने, स्थानांतरण स्थान 600 कि0मी दूरी पर होने और अपने पारिवारिक कारणों के आधार पर अपना पदस्थापन अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(विधि) माध्यमिक—जयपुर, शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी, राजस्थांन स्टेट ओपन स्कूल शिक्षा संकुल—जयपुर, व्याख्याता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान(डाईट) गोनेर—जयपुर, राउमावि गागरडू—जयपुर, राउमावि आंधि—जयपुर, राउमावि देसू—जालोर और राउमावि आहोर—जालोर में किए जाने की परिवेदना प्रस्तुत की है।

यह विधि सुस्थापित सिद्धान्त है कि लोकसेवकों द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन/स्थानान्तरण की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती, अपितु उपलब्ध मानव संसाधन का प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार उपयोग करना नियोक्ता के विवेकाधीन है। अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। अपीलार्थी द्वारा अपने पदस्थापित स्थान पर दिनांक 09.12.2021 को कार्यग्रहण किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन में प्रस्तुत यथावत/वांछित स्थान पर पदस्थापन हेतु की गई मांग नियमानुकूल/तर्कसंगत नहीं होने के कारण खारिज योग्य पाये जाने के आधार पर एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी—2/अपील संख्या 5220/बृजेशसिंह/को.के/20—21 दिनांकः—29/01/22

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय),
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
5. जि.शि.अ. (माध्य—विधि)
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्रधानाचार्य
9. संबंधित कार्मिक
10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त—निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Scanned with CamScanner